ालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

संख्या : 113/2022

अनवान | तारीख दायर 05.05.2022

1. जग्गा पिता मुंशी जाति बजारा उम्र व्यस्क निवासी दुदिया खेडी तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0

प्रार्थी

बनाम

01. रतना पिता रामा बलाई जाति बलाई उम्र व्यस्क निवासी अमरपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राज0
02. जोधा पिता नखा मीणा जाति मीणा उम्र व्यस्क निवासी सायडा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राज0
03. गोकुल पिता तुफान बंजारा जाति बंजारा उम्र व्यस्क निवासी बरडी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राज0
04. प्रभु पिता नाराण जाति बलाई उम्र व्यस्क निवासी सायडा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राज0

.... विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0ले0रे0एक्ट

– : आदेश : –

दिनांक 5 /5 /2022

र्थना पत्र प्रार्थी जग्गा पिता मुंशी जाति बंजारा उम्र व्यस्क निवासी दुदिया खेडी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राज0 जरिये अभिभाषक श्री सुनील जोशी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम जलीन्द्री पटवार हल्का लीन्द्री तहसील बिजौलियां में आराजी नं0 11/2 कुला किता 1 रकबा 0.4856 हैक्टेयर भूमि में स्थित है। विपक्षीगण आये न सीमाओं को लेकर विवाद करते रहते है। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावें। साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद शपथ पत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और ावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2073– 2076 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का तेदार/गैर खातेदार काश्तकार है। पडोसीयान के विवाद करने बाबत् शपथ पत्र संलग्न है पत्थरगढी से किसी के स्वत्व कोई विपरित प्रभाव नहीं पडता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम जलीन्द्री वार हल्का जलीन्द्री तहसील बिजौलियां में आराजी नं0 11/2 कुला किता 1 रकबा 0.4856 हैक्टेयर भूमि की बशामलात ी काश्तकारान एवं पडोसीयान को सूचित करते हुए पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क ा **100**/– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावें। भू0अ0नि0 बिजौलियां को श्नर नियुक्त किया जाता हैं। फीस **500**/– रूपये वक्त पत्थर गढी प्रार्थी मौके पर अदा करेगा।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हों।

आदेश सुनाया गया।

(सीमा तिवाड़ी)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जि -भीलवाड़ा

उप खण्ड अधिकारी ... लियाँ (भीलवाड़ा)